9/10/2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) चटनी (धनिया, पोदीना, मसालों से बनी) का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अत श्री श्री चौथमल प्रजापति पुत्र श्री पन्नालाल जी प्रजापति, उम्र 55 वर्ष, जाति प्रजापत, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स– राजू मिष्ठान भण्डार, विजयवर्गीय टेन्ट हाउस के सामने, कोटा रोड, सांगोद, कोटा निवासी:– कुम्हारों का मोहल्ला, वार्ड नं. 16, सांगोद, कोटा पर 15000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये श्री **नितेश गौतम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति० जिला कलेक्टर
कोटा